UPMZ010066052026

न्यायालय Addl.Distt and Sess. Judge Court No-4/Special Judge (E.C. Act), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (Anurag Panwar), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02638

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2596/2026

इकबाल रंगरेज पुत्र बशीर, निवासी–उज़्वल गार्डन कालोनी वाली गली, थाना–लिसाडी गेट, जिला–मेरठ। ... अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ... विपक्षी

मु0अ0सं0–301/2025, वाद सं0–1137/2026, अन्तर्गत धारा–112(2), 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 व धारा–136 विद्युत अधिनियम, थाना–तितावी, जिला–मुजफ्फरनगर के मामले में आवेदक इकबाल रंगरेज की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया गया कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है। उससे किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसका कोई पैराकार नहीं है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार हो चुकी है। वह दिनांक 19.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी है।

उक्त के विरोध में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य के साथ मिलकर विद्युत तारों की चोरी की गयी, जो उनसे बरामद हुआ। अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः उसका जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

संक्षेप में अभियोजन कथन है कि दिनांक 13.12.2025 को वादी मुकदमा अमित कुमार द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दर्ज करायी गयी कि दिनांक 06/09.12.2025 की मध्यरात्रि में विजय पुत्र भुल्लन सिंह का जोड़े (25 KVA) व जिले सिंह पुत्र हरलाल का जोड़ा (25 KVA) से एल0टी0 लाईन चोरी हो गयी है। मौके पर जाकर देखने पर पाया गया कि विजय पुत्र भुल्लन सिंह के जोड़े से बुद्ध सिंह पुत्र शुक्कन के निजी नलकूप तक और जिले सिंह पुत्र हरलाल के जोड़े से ब्रह्मसिंह पुत्र चोहल सिंह समस्त निवासीगण–अलीपुरकलां, थाना–तितावी, मु0नगर के निजी नलकूप तक लगभग 05 (पांच) स्थान का तार (एल0टी0 लाईन विल कन्डक्टर) अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त के आधार पर मुकदमा कायम कर व कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Digitally signed by ANURAG PANWAR
Date: 2026.06.01 17:05:19 IST
Reason: Bail Order
Location: A.S.J. Court No.4/Spl. Judge (E.C. Act), Mzn

न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम) के तर्कों को सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों (केस डायरी)/पत्रावली का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप है कि उसके द्वारा अन्य के साथ मिलकर विद्युत तारों की चोरी की गयी, जो उनसे बरामद हुआ। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। अभियुक्त की संलिप्तता, अन्य मुकदमों में निरूद्ध जिला कारागार से तलब कर, दर्शायी गयी है। अभियुक्त से व्यक्तिगत रूप से कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है, बल्कि अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से बरामदगी दर्शायी गयी है। सह-अभियुक्तगण रविन्द्र आदि की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुसार अभियुक्त दिनांक 19.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय मामले के गुणदोष पर अपनी राय जाहिर किये बगैर, अभियुक्त/आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाती है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त इकबाल रंगरेज पुत्र बशीर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000-50,000/- (पचास-पचास हजार) रूपये की दो जमानतें व इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र दाखिल करने पर इन शर्तों पर रिहा किया जाये कि-

1- प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

2- प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा-351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस. की धारा-351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उसके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध धारा-269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

3- प्रार्थी/अभियुक्त वाद के विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर सक्षम न्यायालय, प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अनुराग पंवार)
I.D. UP 2638
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट),
मुजफ्फरनगर।

दिनांकः 01-06-2026